

प्रेस नोट थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर दिनांक 11.03.2023

55 ग्राम अवैध नशीला अल्प्राजोलम पाउडर व चोरी की मोटर साइकिल के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिये चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर गोरखपुर के कुशल मार्ग निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैण्ट के कुशल मार्गदर्शन में शशि भूषण राय प्रभारी निरीक्षक कैण्ट पुलिस की टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त मनोज शर्मा पुत्र मिट्टू शर्मा निवासी काली मंदिर के पीठे थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर के कब्जे से 55 ग्राम नशीला अल्प्राजोलम पाउडर व चोरी की मो0सा0 बरामद करते हुए गिरफ्तार किया गया। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 188/2023 धारा 8/21 NDPS ACT पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मनोज शर्मा पुत्र मिट्टू शर्मा निवासी काली मंदिर के पीठे थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर

गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 151/23 धारा 379 भादवि थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
2. मु0अ0सं0 188/23 धारा 8/21 NDPS एक्ट थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
3. मु0अ0सं0 76/23 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना राजघाट जनपद गोरखपुर
4. मु0अ0सं0 110/22 धारा 379/411 भादवि थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर

बरामदगी-

1. 55 ग्राम अवैध नशीला अल्प्राजोलम पाउडर
2. चोरी की मो0सा0

गिरफ्तारी की टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक शशि भूषण राय थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 शाहिद सिद्दीकी थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
3. उ0नि0 अरविन्द कुमार यादव थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
4. का0 रविन्द्र थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
5. कां0 शिवम तिवारी थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर